भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

03.07.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1980 का उत्तर

अतिक्रमण के कारण रेल दुर्घटनाएं

1980. श्री उपेन्द्र सिंह रावतः

श्री कौशल किशोरः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में रेलवे ट्रैकों से समीप की जमीन पर अतिक्रमण के कारण अनेक गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के स्वच्छता और सुरक्षा को बनाए रखने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में उक्त भूमि अतिक्रमण को हटाने के लिए कोई ठोस मानदंड/दिशा-निर्देश तैयार किए गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में एक विधेयक लाने का है ताकि रेलवे ट्रैकों के साथ स्थित सैकड़ों/हजारों मलिन बस्तियों/झोपड़ियों सहित सभी अतिक्रमण हटाने के लिए ठोस कानून बनाया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क): पिछले पांच वर्षों के उपलब्ध गाड़ी दुर्घटनाओं के आंकडों के अनुसार इन मामलों में की गई जांचों के निष्कर्ष के अनुसार रेलवे भूमि पर अतिक्रमण के कारण कोई भी परिणामी दुर्घटना नहीं हुई है।

Sk

(ख) और (ग): रेलवे नियमित तौर पर सर्वेक्षण करती है और क्षेत्रीय रेलों में अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई करती है, जिसमें उत्तर प्रदेश में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण भी शामिल है। यदि अतिक्रमण झुग्गियों, झोपड़ियों और अवैध आवास के रूप में अस्थाई स्वरूप (सॉफ्ट अतिक्रमण) का हो, तो उसे रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय सिविल प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके हटवाया जाता है। पुराने अतिक्रमणों, जिनमें पार्टी को समझा-बुझाकर मनाया न जा सकता हो, के मामलों में आशोधित सरकारी स्थान (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (पीपीई एक्ट, 1971) के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। अनधिकृत अधिभोगियों के विरूद्ध वास्तविक कार्रवाई राज्य सरकार तथा पुलिस की सहायता से की जाती है।

(घ) और (ङ) : रेलवे ट्रैक के पास स्थित अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकारी स्थान (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 पहले से मौजूद है। बहरहाल, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से और प्रभावी ढ़ंग से निपटने के लिए रेल मंत्रालय ने कानून और न्याय मंत्रालय के साथ समझौते में धारा 10-ए को जोड़ कर आशोधित सरकारी स्थान (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (पीपीई एक्ट, 1971) के खंड-11 में शहरी विकास मंत्रालय को निम्नानुसार संशोधन करने के लिए कहा है :-

"धारा 10-ए - संपदा अधिकारी, उचित मामलों में, अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली और अप्राधिकृत निर्माण को गिराने और हटाने आदि के मामलों को राज्य प्राधिकारियों को भेज सकता है और संपदा अधिकारी से ऐसे मामले प्राप्त होने पर संपदा अधिकारी द्वारा निर्धारित समय में अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली और अनधिकृत निर्माण को गिराने और हटाने आदि के लिए राज्य प्राधिकारी उचित कार्रवाई कर सकते हैं।

******

Sk